# फर्द अहकाम

## चेतन लाल बनाम जगदीश व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या: 73/2025

| क्रम संख्या | दिनांक | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 20.03.2025 | वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियां पेश की है। वकील प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण का जवाब आने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम हरवंशपुरा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा, तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा संख्या 159/1 रकबा 0.85 है0, व खसरा नम्बर 160/1 रकबा 0.4000 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2500 है0 में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने व जवाब आने तक उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 17/4/25 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>जयपुर द्वितीय (सांगानेर) | नोटिस जारी 2042-43 27/3/25 |
| | 17/4/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० मुन्तजार तामील हेतु पत्रावली दि० 15/5/25 को पेश हो।<br><br>उप-खण्ड अधिकारी<br>जयपुर (द्वितीय) | |
| | 12/5/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वादी का वाद निर्णीत हो चुका है। अतः इस वाद में कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र डिक्री किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)